न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-679RAAJodhpur2025-185RTA225 Bhuraram ors Vs Vishanaram etc

1. भूराराम पुत्र सोनाराम
2. कुम्भाराम पुत्र रावताराम
3. टीपूदेवी पत्नि रावताराम
4. भोमाराम पुत्र रावताराम
5. हनुमानराम पुत्र रावताराम

   जाति जाट निवासी लाधाणियों की ढाणी, केरली नाडी, पूनियों का तला तहसील गिडा जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. विशनाराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी लाधाणियों की ढाणी, केरली नाडी, पूनियों का तला तहसील गिडा जिला बालोतरा।
2. तहसीलदार गिडा जिला बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 19 नवंबर 225 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 141/2025 अनवान विशनाराम बनाम भूराराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 03 जून 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 141/2025 अनवान विशनाराम बनाम भूराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 नवंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 09 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा लाधाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खसरा नंबर 451 रकबा 31.8001 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण/अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 452 रकबा 5.8841 हैक्टेयर, खसरा नंबर 614/385 रकबा 7.7942 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

19 नवंबर 2025 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर विधिनुसार सम्मनों की तामील करवाये बिना, उन्हें जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पोस्टल रसीदात के आधार पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जांच बाबत एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार से तलब कर दी गई है। विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया है। हल्का पटवारी ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 1 से निजी लाभ प्राप्त करते हुऐ उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलांट को कोई सूचना दिये अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई, जबकि अपीलान्टगण के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है तथा मात्र उतरदाता व उसके चहेते व्यक्तियों के ही ही हस्ताक्षर है। इसके अलावा किसी सेढा पडौसीयान व मौतबिरान के भी हस्ताक्षर नहीं है, जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त मौका फर्द अकेले में उतरदाता के दबाव में तैयार की गई है। उक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुऐ विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 19.11.2025 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भ से ही उतरदाता के पक्ष में निर्णय करने हेतु मानस बना लिया था। उसी क्रम में विधि के सुस्थापित नियमों के विपरित जाकर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मौका रिर्पोट में राजस्व कर्मचारियों द्वारा रास्ते के दो विकल्प बताये गये, जिसमें दूसरे विकल्प की दूरी पहले विकल्प से कम है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में दूसरे विकल्प के बारे में कोई हवाला अपने आदेश में नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे विकल्प की दूरी पहले विकल्प से कम है, जिससे अपीलान्ट्स की भूमि का कम रकबा रास्ते में काम आयेगा, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कम दूरी से बजाय अधिक दूरी से रास्ता स्वीकृत किया गया है जो विधि सम्मत न होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि उतरदाता संख्या 1 द्वारा जिस स्थल पर प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, वहां पर से पहले कोई रास्ता ही नहीं है तथा अपीलांट की बाड़ बनी हुई है तथा पहले से रास्ता न होने के कारण उक्त स्थल पर रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों व प्रत्रावली का गौर किये बिना विधि के विपरित जाकर आदेश जारी किया, व इतना ही नहीं सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों व न्यायिक भावना को भी समझने का प्रयास नहीं किया है, उपरोक्त कारणों से भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने योग्य ही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 141/2025 अनवान विशनाराम बनाम भूराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 नवंबर 2025 को निरस्त किया जावे एवं मामला पुनः विधिनुसार सुनवाई किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। मौका रिपोर्ट में बताये गये रास्ते के दूसरे विकल्प के स्थान पर बड़ा धोरा होने से वहां से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए की मंशानुरूप सुगम, निर्बाध एवं लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। कानूनन केवल तकनीकी आधार पर मामले को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 25.09.2025 के अवलोकन मुताबिक प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। विकल्प प्रथम जो कि बरंग लाल से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 452 एवं 614/385 की सीमा के सहारे सहारे बताया गया है जो आगे मुख्य सड़क मार्ग तक जुड़ता है। द्वितीय विकल्प जो कि बरंग हरे रंग से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 614/385 से होते हुए आगे ग्रेवल सड़क तक बताया गया है। मौका फर्द में द्वितीय विकल्प के स्थान पर धोरा होने से वहां से रास्ता तैयार किये जाने में अत्यंत खर्चा होना बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् के मौके पर सुगम एवं बाधा रहित आवागमन को देखते हुए बरंग लाल से दर्शाये गये रास्ते को अपीलाधीन आदेश के जरिये कटाणी रास्ता घोषित किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट्स का मुख्य उज्र यह है कि मौके पर बरंग हरा से दर्शित रास्ता लघुतम है। इस संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि रास्ते के दोनो विकल्पों की दूरी मौके पर समान है तथा मौके पर धोरा होने से वहां से द्वितीय विकल्प का रास्ता संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत धारा 251 की मंशा के अनुरूप मौके पर उपलब्ध सुगम एवं बाधारहित रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 141/2025 अनवान विशनाराम बनाम भूराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 19 नवंबर 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर